


195

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर कण्डवोठ रोवा म.प्र.

क्रिज-1771-III-14



Rs. 20/-

269
24.5.14

1. छोटे यादव तनय हिरानी यादव
 2. जगद्वीश यादव तनय रामलक्षयण यादव,
- दोनो निवासी महाजन टोला रोवा, तह. हजूर, जिला-रोवा म.प्र.

--- आवेदक / निगरानीकर्ता गण

बनाम

मंगल यादव तनय स्व. केठानी यादव नि. महाजन टोला रोवा, तह. हजूर, जिला-रोवा म.प्र. --- गर निगरानीकर्ता / जमा. गण

श्री केशव शंकर

द्वारा आज दिनांक 24.5.14 परस्तुत किया गया।

[Signature]
रीडर
सर्किट कोर्ट रोवा

सुनरीक्षण आवेदन पत्र बाबत न्यायालय की भवनर महोदय रोवा संभाग रोवा म.प्र. के प्रकरण क्र. 003 / निगरानी / 12-13 में पारित आदेश दि. 12.5.14

सुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. धू-रा.सं. 1959 ई.

दस्तावेज 1944
रजिस्टर्ड काबज द्वारा आज दिनांक 24.5.14 को प्राप्त

[Signature]
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर न्याय, र.

सुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है:-


1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनियमित होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
2. यह कि निगरानीकर्ता गण द्वारा तहसीलदार, तह. हजूर के न्यायालय में आदेश 6 नियम 17 व्य.प्र.सं. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके मूल आवेदन पत्र के जबाब में आराजी का नं. टंकण अटि के कारण गलत अंक टाइप हो जाने का स्थार चाहा था, तथा यह भी संशोधन प्राप्त गया था, कि "चूंकि जीला रिड के नाम" से उक्त आराजी राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1771-III/14

जिला-रीवा

छोटेलाल यादव/मंगल यादव

(1)	(2)	(3)
25.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	